आवेदिका सहित अधि. श्री आर.सी.यादव उपस्थित। परिवाद पत्र पर पंजीयन तर्क श्रवण किये गये। एतद् द्वारा परिवाद पत्र के पंजीयन के संबंध में आदेश किया जाये।

परिवादी जलदेवी ने अनावेदकगण सतीश, बदन सिंह, शारदा, मुकेश, सत्यवती, प्रियंका अर्थात् अपने पति सस्र, सास, जेट-जेटानी एवं ननंद के विरूद्ध धारा 498 ए भा.द.सं. सहपिठत धारा 03 / 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत परिवाद पत्र इस आशय का प्रस्तृत किया है कि दिनांक : 06/05/2013 को अनावेदक सतीश के साथ विवाह के एक वर्ष बाद से अनावेदकगण उससे 02 लाख रूपये दहेज की मांग करने लगे और उक्त मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने लगे। जब परिवादी ने कहा कि उसके पिता गरीब है, तब नंनद प्रियंका ने उस पर मिटटी का तेल डालने का प्रयास किया और शेष अनावेदकगण ने मारपीट की। वर्ष 2015 में परिवादी के पिता ने ग्राम मौ में पंचायत जोड़ी थी. जिसके बाद अनावेदकगण परिवादी को अपने साथ ले गये थे. लेकिन पुनः उजा, जिला-मेसाना, गुजरात ले जाकर उसे 02 लाख रूपये दहेज की मांग की और मारपीट की। वर्ष 2016 में जेट के माह में पुनः परिवादी के पिता ने पंचायत जोडी और अनावेदकगण को समझाने का प्रयास किया, किन्तु वह नहीं माने। पुलिस को रिपोर्ट करने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, इस कारण परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद के समर्थन में परिवादी जलदेवी एवं साक्षी तुलसीराम एवं रामदयाल ने कथन किये है। साथ ही थाना प्रभारी मौ को प्रेषित आवेदन दिनांक 22/09/16, पुलिस अधीक्षक भिण्ड को प्रेषित आवेदन दिनांक 21/07/17 की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

थाना मौ द्वारा परिवाद—पत्र की जांच उपरात प्रतिवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अनावेदकगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर परिवादी के साथ मारपीट एवं गाली—गलौच करना एवं कूरतापूर्वक व्यवहार करना पाया गया है। जांच प्रतिवेदन के साथ दोनों पक्षों के साक्षीगण के कथन संलग्न है। यद्यपि पुलिस द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन न्यायालय पर बंधनकारी नहीं है। प्रतिवेदन के साथ संलग्न किसी भी दस्तावेज से प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किस आधार पर जांच का निष्कर्ष निकाला गया है।

परिवादी द्वारा विवाह के लगभग चार वर्ष पश्चात् यह परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, इस दौरान परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी के पिता ने दो बार सामाजिक पंचायत जोड़ी है, किन्तु पंचायत में मौजूद किसी भी पंच या सदस्य को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है।

परिवादी ने अपने कथनों में पहले अनावेदकगण द्वारा उसकी ससुराल अर्थात् ग्राम लहार, जिला—भिण्ड में तत्पश्चात् उजा, जिला—मीसाना, गुजरात में अनावेदकगण द्वारा दहेज की मांग एवं मारपीट करना बताया था। इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार अर्थात् थाना मौ क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कुरता किये जाने का कोई भी कथन ना तो परिवादी जलदेवी ने किया है और ना ही साक्षी तुलसीराम एवं रामदयाल ने।

दिनांक : 06/05/2013 से वर्ष 2016 के मध्य परिवादी द्वारा कहीं कोई शिकायत या आवेदन दिया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादी 06 अनावेदकगण द्वारा एक साथ मिलकर उसके साथ गंभीर मारपीट करना बताती है, किन्तु इस संबंध में उसका कोई भी मेडीकल रिपोर्ट या इलाज के पर्चे प्रस्तुत नहीं किये गये है। परिवाद—पत्र के अनुसार जिस अन्तिम घटना का उल्लेख ग्राम मौ में अनावेकदगण द्वारा आकर दहेज की मांग करना किया गया है, उस संबंध में परिवादी ने न्यायालय में कोई कथन नहीं किया है। ''इस वर्ष जेठ माह'' अर्थात् लगभग मई 2016 में घटित किसी भी घटना की कोई भी रिपोर्ट परिवादी द्वारा थाने पर नहीं की गई है। इसके विपरीत दिनांक : 22/09/2016 को एक लेखी आवेदन थाने पर दिया गया है।

थाने पर परिवादी की रिपोर्ट लिखे ना जाने के पश्चात् धारा 154 ''03'' द.प्र.सं के अन्तर्गत भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपितु यह परिवाद प्रस्तुत होने के लगभग 07 माह बाद दिनांक : 21/07/2017 को पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन दिया गया है, जो कि मात्र औपचारिकता दर्शित होती है। परिवादी द्वारा दहेज की मांग एवं कूरता के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट कथन ना करते हुये सामान्य आक्षेप संयुक्त रूप से लगाये गये है।

इस प्रक्रम पर यद्यपि मामले के गुण—दोष पर विचार नहीं किया जाना है, तथापि यह अवश्य ही देखा जाना है कि क्या अनावेदक के विरूद्ध आक्षेपित अपराध पंजीबद्ध करने के प्रथम दृष्ट्या आधार है। पूर्वोक्त के स्पष्ट है कि अनावेदक के विरूद्ध अभिकथित अपराध पंजीबद्ध करने के प्रथम दृष्ट्या आधार नहीं है। फलतः धारा 203 द.प्र.सं. के अर्न्तगत हस्तगत परिवाद निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयाविध में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> शिवानी शर्मा जे.एम.एफ.सी. गोहद